

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:-187/2020

टिब्बी।

3. संजय कुमार } पि० सुखपाल जाति ब्राहमण निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी
 4. उम्मेद कुमार } जिला हनुमानगढ।
 वादीगण

बनाम्

3. सुखपाल पुत्र पतराम जाति ब्राहमण निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
 4. कविता पत्नी मनीष पुत्री सुखपाल जाति ब्राहमण निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
 प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अरविन्द नैण प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीसं० 1 संजय कुमार को चकनं० 14 एफटीपी के खातासं० 99/92 की कुल .506 है० में 1/2 हिस्सा का तथा इसी चक के खातासं० 151/153 की कुल 1.430 है० में से .506 है० का व वादीसं० 2 उम्मेद कुमार को चक 14 एफटीपी के खातासं० 151/153 की कुल 1.430 है० में से .924 है० भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 14 एफटीपी के खातासं० 151/153 व खातासं० 99/92 में से प्रतिवादी सं० 1 सुखपाल पुत्र पतराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल.....X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत.....X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.12.2020 को जारी किया गया।



hira
 (मांगीलाल)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी